प्रेस विज्ञप्ति
27.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सज्जू कोठारी और अन्य के मामले में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर लिए गए रुपये 4.21 करोड़ (लगभग) की 31 अचल संपत्तियाँ दिनांकः 26.03.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने सज्जू कोठारी और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, अगवा करने, दंगा, लूटमार, डकैती, अनधिकृत रुप से धन उधार देने, जुआ, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने आदि से संबंधित सूरत पुलिस द्वारा दर्ज 6 प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि सज्जू कोठारी द्वारा जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, ऊठाईगिरी, दंगा,लूटमार, डकैती, अनधिकृत रुप से धन उधार देना, जुआ, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और ऐसे अन्य अपराधों के माध्यम से कमाए गए अपराध की आय (पीओसी) की कीमत रुपये 4.29 करोड़ (लगभग) थी। साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 31 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है क्योंकि उक्त संपत्तियाँ अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण अर्जित की गई हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।